न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बुनकर आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 26/019

तारीख रजू 4.02.2019

1 शरीफ खान
2 मुकीन अहमद
3 शकीन

} पिसरान रशीद खॉ जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली

—— वादीगण

बनाम

1. रशीद उर्फ अब्दुल रशीद खान पुत्र खेराती जाति मुसलमान निवासी कुतकपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली
2 श्रीकत माफिया पत्नि आरिफ पुत्री रशीद खॉ जाति मुसलमान निवासी रज्जाक नगर हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन जिला करौली
3 सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार कार्यालय हिण्डौनसिटी तहसील हिण्डौन जिला करौली
4 तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

—— प्रतिवादीगण

दावा– 88,188 आर.टी.एक्ट मे प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सी.पीसी

निर्णय दिनांक

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद पत्र मुस्लिम विधि के तहत पुश्तैनी आराजीयात बताते हुये। मृतक खैराती की आराजीयात मे घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। जिसमे प्रतिवादी सख्या 1 व 2 की ओर से एक प्रार्थना पत्र C7 रूल्स 11 व 151 सी.पी.सी के तहत पेश कर बताया गया है कि उनवानी दावा मे वर्णित आराजी पैतृक व पुश्तैनी भूमि ग्राम कुतुकपुर तहसील हिण्डौन मे स्थित है जिसमे से प्रतिवादी सख्या 1 ने दिनांक 15.9.2017 को प्रतिवादी सख्या 2 से 251,000/–रुपये प्रतिकुल प्राप्त कर अपनें स्वामित्व व खातेदारी की हिस्सा 1/10का कब्जा सुपुर्द कर प्रतिवादी सख्या 2 के हक मे दिनांक 15.9.2017 को विक्रय पत्र तहरीर कर उपपंजीयक हिण्डौन के यहा पर पंजीकृत कराके, विक्रय पत्र को शून्य घोषीत करवाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश किया गया है यह दावा पैत्रिक भूमि मानकर पेश किया गया है। मुस्लिम विधि के अनुसार पैत्रिक सम्पति की धारण का अभाव है खातेदार जीतेगी उसकी सम्पति को वारिसान चेलेन्ज नही कर सकते है भूमि बुर्जुगान खैराती पुत्र हंसी से प्राप्त होने पर ही किया है प्रतिवादी सख्या 1 की पत्नि अमीना पति रसीद के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जो सहखातेदार है जिसे आवश्यक पक्षकार दावे मे नही बनाया गया है साथ ही वादीगण /सायल न तो केता है ना ही विकेता है ना ही उक्त भूमि मे खातेदार सह खातेदार शिकमी काश्तकार भी नही है , किस हैसियत से यह दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया कोई उल्लेख नही किया है अंत मे प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा एवं प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर स्वीकार करने का निवेदन करते हुये इसी स्टेज पर खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जबाव कई अवसर चाहने के वाद भी कोई जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही कर पर आज जबाव प्रार्थना पत्र बंद किया गया है।

प्रार्थना पत्र बहस उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का बहस मे कथन है कि मुस्लिम विधि के तहत कोई सम्पत्ति पैत्रिक नही होती है। मुस्लिम विधि मे पैत्रिक सम्पत्ति की धारणा नही है। जन्म के आधार पर मुस्लिम विधि मे पैत्रिक आराजी मे हिस्से की घोषणा के लिऐ वाद नही लाया जा सकता पिता के जीवित होने पर उसके द्वारा सम्पति अंन्तरण करने के कारण सम्पति भूमि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner

यालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

फर्द अहकाम

:19 वकुलाय उपस्थित है वकील वादी का प्रा. पत्र के जवाब हेतु दिनांक 15/3/19 से आज दिनांक तक 7 अवसर दिये जाने पर भी पेश नहीं किया है जो जबाब प्रा. पत्र 07 R11 CPC का बंद किया जाता है वकुलाय के प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी, बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रतिवादी का प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC का स्वीकार कर दावा वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली रेकार्ड दुरुस्त होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned by CamScanner

पैत्रिक नही होने के कारण पुत्र/पत्रियान एवं वारिसान कोई दावा लाने का अधिकार प्राप्त नही होता है। इस लिऐ वादीगण द्वारा प्रस्तुत यह दावा मुस्लिम विधि के तहत वार्ड वाई लॉ है और वाद कारण के अभाव मे इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है।

वकील वादीगण का बहस मे कथन है कि भूमि पुश्तैनी है और मुस्लिम विधि के तहत प्रतिवादी नम्बर 1 रशीद के वारिसान को रशीद के जीवन काल मे ही हक प्राप्त हो जाते है वयनामा शून्य है प्रभावहीन है। और प्रार्थना पत्र प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 निराधार है। खारिज किये जाने योग्य है।

बहस वकील उभय पक्ष का मनन किया गया पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व नजीर वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत 2018(2)सी.जे(सी.आई.बी)(राज0) पेज नम्बर 991,आर.आर. टी 2017 (2) पेज 803 , आर.आर.टी 2018(2) पेज 1275,उक्त समस्त नजीरो मे मुस्लिम विधि के तहत कोई आराजी व सम्पति पेत्रिक नही होती है पिता के जीवन काल मे पुत्र/पुत्री /पत्नि को कोई वाद लाने का अधिकार नही है। मुस्लिम विधि मे पुत्र/पुत्री के जन्म से कोई अधिकार उत्तपन्न नही होते है। दावा वादीगण वार्डवाई लॉ है जो चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 स्वीकार किया जाता है। दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण वार्ड वाई लॉ होने से खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27.6.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन
हिण्डौन

Scanned by CamScanner